कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर
AGRICULTURAL RESEARCH STATION : SRIGANGANAGAR-335001
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर)
(Swami Keshwnand Rajasthan Agricultural University, Bikaner)
Phone: 0154-2440619, E-mail: arssgnr2003@gmail.com

क्रमांकः कृअके /श्रीगंगा / क्षेनिअ /2025/1684-91 दिनांकः 31.01.2025

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित खुली निविदा कमांक संख्या एफ.() कृअके/गंगा/निविदा /2024–25/1649 दिनांक 24.01.2025 के संदर्भ में **मैसर्स श्रीमति उषा पत्नि श्री राम बहादुर, करणी मार्ग, वार्ड नं. 49 श्रीगंगानगर** को निविदा समिति की अनुशंषा पर फार्म के विभिन्न कृषि कार्य हेतू निम्नांकित दर संलग्न शर्तो के आधार पर फरवरी , 2025 से जुलाई , 2025 (6 माह) तक कार्यादेश प्रदान किया जाता है।

क.स.	विवरण	दर (प्रति कार्य दिवस)
1.	उच्च कुशल श्रमिक (कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि) (दर प्रति कार्य दिवस)	रूपये 442/– प्रति कार्य दिवस
2.	कुशल श्रमिक (कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर ड्राईवर, जीनिंग मशीन ऑपरेटर आदि) (दर प्रति कार्य दिवस)	रूपये 392/– प्रति कार्य दिवस
3.	अकुशल श्रमिक (दर प्रति कार्य दिवस)	रूपये 361/– प्रति कार्य दिवस

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान् निदेशक अनुसन्धान, अनुसन्धान निदेशालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर।
2. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. प्रभारी सिमका,स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,बीकानेर।
4. श्रीमान् कोषाअधिकारी स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
5. श्रीमान् फार्म प्रभारी/संबंधित परियोजना प्रभारी कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर
6. **मैसर्स श्रीमति उषा पत्नि श्री राम बहादुर, करणी मार्ग, वार्ड नं. 49 श्रीगंगानगर ।**
7. लेखा शाखा/रोकड़ शाखा/सूचना पट्ट/रक्षित पत्रावली, कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर
AGRICULTURAL RESEARCH STATION : SRIGANGANAGAR-335001
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर)
(Swami Keshwnand Rajasthan Agricultural University, Bikaner)
Phone: 0154-2440619, E-mail: arssgnr2003@gmail.com

निविदा प्रपत्र–ब

पंजीकृत सेवा प्रदाता एजेंसी / फर्म / कंपनी का नाम एवं पूरा पता :

उच्च कुशल, कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति हेतु :

क्र.स.	कार्य का विवरण	श्रम विभाग / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	निविदादाता द्वारा प्रस्तावित दर प्रति कार्य दिवस (नियमानुसार EPF,ESI,GST अन्य लागू सरकारी कर यदि कोई हो तथा सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज सहित)
1	उच्च कुशल श्रमिक (कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि) (दर प्रति कार्य दिवस)	Rs 359 +EPF (13%) + ESI (3.25%) + Service Charge	आवश्यकता अनुसार	
2	कुशल श्रमिक (कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर ड्राईवर, जीनिंग मशीन ऑपरेटर आदि) (दर प्रति कार्य दिवस)	Rs 309 +EPF (13%) + ESI (3.25%) + Service Charge	आवश्यकता अनुसार	
3	अकुशल श्रमिक (दर प्रति कार्य दिवस) विविध / आकस्मिक कृषि कार्य हेतु अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराना जैसे विभिन्न फसलों गेहू / जौ / ग्वार / नरमा / कपास / सरसो / चना मूंग आदि में अवांछित पौधों को ढूंढ कर हटाना, फार्म पर बीज उत्पादन फसलों में रोगिंग करना, कृषि फसलों के प्रयोगों में आंकडे लेने में सहायतार्थ, बीज ग्रेडिंग मशीन की सफाई, ड्रिप सिंचाई एवं ड्रिप सिस्टम का रखरखाव, सब्जियों की नर्सरी लगाने के लिये क्यारियां तैयार करना, सिंचाई जल प्रबन्ध प्रयोगों में लो टनल बनाना (पॉलीथीन शीट काटना, सरिये लगाना, पोलीथीन शीट लगाना, मिट्टी से दबाना), बैलों की देखरेख व दाना पिसाई, पेड़ों की छंगाई करना, छंगाई की गई लकडियों को ट्राली में डलवाकर बताये गये स्थान पर खाली करवाना, फार्म पर फसलों की रखवाली / चौकीदारी / चिडिया उड़ाने का कार्य करना, फार्म के विभिन्न भवनों व स्टोर डिग्गी के आस–पास व रास्तों से घास–फूस निकलवाना व साफ–सफाई करवाना, विभिन्न कृषि प्रयोगशाला / स्टोर की साफ सफाई व रखरखाव, फार्म व खेतों पर दिन व रात में रखवाली, थैलियों से बीज निकालकर छोटे लिफाफे में भरना, प्रयोग फसलों में प्लॉट के अनुसार लेबल बांधने के लिये खूंटियों गाड़ना, दाने गिनकर लिफाफों में भरना व तोलना, मिट्टी के विभिन्न गहराई के सेम्पल लेना, फसलों की टेस्टिंग इंटरिज चैक वैरायटिज, न्यूक्लियस बीज की हाथ द्वारा बीनते हुये सफाई, फसलों के एकल पौधे की कटाई / फलियां तुड़ाई, एकल पौधे की गहाई / मढाई औसाई व साफ करके लिफाफे में भराई, फसलों के दानों को गिनकर लिफाफे बनाना, बिजाई हेतु बीज की लिफाफो / थैलियों में भराई, फसलों में कृत्रिम संकरण हेतु विपुसंकरण व सन्दर्भित प्लॉट से फूल ला कर संकरण कराना व टैग बांधना (कृषि पर्यवेक्षक / सहायक के निर्देशन मे) थैली में भरे हुये दानों की थैलियाँ खुलवाकर इकट्ठा करना व दानों की	Rs 285 +EPF (13%) + ESI (3.25%) + Service Charge		

	सामान्य सफाई कर बोरियों में भरना तोलना सिलना व स्टोर में रखना, खाली थैलियों की सफाई, सीड कॉटन के नमूने स्टोर से लाना, नमूनों को तौलना, ओटाई (जीनिंग) करना साथ–साथ हर नमूनों के बाद मशीन की सफाई करना, बीजों व रूई को अलग–अलग लिफाफों में भरना व स्टोर में वापस करना, सीड कॉटन के सेम्पल में से लिंट (रूई) निकालने से पहले सफाई (पत्ते, कचरा व पीली बूटी आदि निकालना), नरमा/कपास में एकल पौधों की चुनाई या क्रांस बॉल की चुनाई कर थैलियों में भरना, नरमा/कपास के विभिन्न प्रयोगों में गेप फिलिंग करना, नरमा कपास के परीक्षण प्लॉट में कॉटन के सैम्पलों की चुनाई करना अलग–अलग लिफाफों में भरना व स्टोर में रखना, गन्ने के नमूनों का विश्लेषण हेतु खेत से गन्ना काटकर प्रयोगशाला में लाना, मशीन की सफाई करना मशीन द्वारा रस निकालना व मशीन की पुनः सफाई व अन्य किसी भी तरह का कृषि कार्य।			

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

विभिन्न कृषि कार्यों हेतु उच्च कुशल, कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति हेतु निविदा शर्तें :

1. निविदा फार्म कार्यालय से रूपये 500/– नकद या डिमांड ड्राफ्ट जो कि क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, श्रीगंगानगर के पक्ष में देय हो प्रस्तुत कर दिनांक 24.01.2025 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 31.01.2025 दोपहर 01:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
2. मोहरबंद निविदा क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, श्रीगंगानगर के नाम देनी होगी।
3. निविदादाता को निविदा प्रपत्र दिनांक 31.01.2025 दोपहर 01:00 बजे प्रस्तुत करना होगा तथा निविदायें क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, श्रीगंगानगर के कार्यालय में दिनांक 31.01.2025 दोपहर 02:00 बजे तक खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदायें खोली जावेगी।
4. खुली निविदा जिसके लिफाफे पर कृषि मय उच्च कुशल, कुशल व अकुशल श्रमिकों की आपूर्ति हेतु खुली निविदा दिनांक 24.01.2025 लिखा होना चाहिये जमा करवानी है।
5. इस कार्य की अनुमानित लागत रूपये 9.5 लाख (अक्षरे नौ लाख पचास हजार रूपये) है। अतः निविदादाता को धरोहर राशि 19,000/– रूपये (2 प्रतिशत) के डिमांड ड्राफ्ट जो कि Zonal Director Research, Agricultural Research Station, Sriganganagar के पक्ष में देय होगा। संलग्न करना अनिवार्य है। धरोहर राशि के बिना फार्म निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।
6. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति से 5 दिवस में शेष 3 प्रतिशत धरोहर राशि रूपये 28,500/– के डिमांड ड्राफ्ट जो कि Zonal Director Research, Agricultural Research Station, Sriganganagar के पक्ष में देय हो, जमा करवानी होगी।
7. प्रत्येक कार्य की निविदा दर स्पष्ट रूप से अंकों व शब्दों में लिखी होनी चाहिये।
8. ठेकेदार/निविदादाता द्वारा दरें प्रतिशत या पैसों में मान्य नही होगी। सभी दर पूर्णांक में भरनी होगी।
9. सफल निविदादाता के अलावा सभी धरोहर राशि निविदा अनुमोदन पश्चात् सात दिवस के अन्दर लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज दर देय नही होगा।
10. यदि सफल निविदादाता स्वीकृत कार्य करने से इनकार करना है या वह अपने प्रस्ताव से किसी भी समय पीछे हटता है या निविदादाता अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी व करवाये गये कार्य का भुगतान करके ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जायेगा।
11. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, श्रीगंगानगर के पास सुरक्षित रहेगा।
12. निविदादाता/सेवा प्रदाता संस्था/फर्म का श्रम विभाग एवं राज्य/केन्द्र सरकार के अधिनियमों के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना आवश्यक है निविदादाता/सेवा प्रदाता फर्म को पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा।
13. निविदादाता/सेवा प्रदाता संस्था/फर्म को आयकर पेन नम्बर, आधार नम्बर व बैंक विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
14. आयकर विभाग द्वारा निर्धारित आयकर व शेष की कटौति करने पश्चात् ही बिल का भुगतान किया जायेगा तथा आयकर रिटर्न भरने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
15. निविदादाता/सेवा प्रदाता संस्था/फर्म को श्रम विधियों एवं नियमों के अनुसार अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा अर्थात् आपूर्ति किये गये श्रमिकों के संबंध में श्रमिक कानूनों, नियमों व अन्य संवैधारित जिम्मेदारी निविदा/सेवा प्रदाता संस्था/ फर्म की ही होगी।
16. कार्यालय द्वारा स्वीकृत दरों के अलावा किसी प्रकार का भुगतान नही किया जावेगा तथा स्त्रोत पर आयकर, सेवाकर या सरकारी देनदारी या अन्य कर देय हो तो नियमानुसार कटौति निविदादाता से की जायेगी।
17. निविदादाता श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नही करेगा एवं भुगतान समय पर करेगा।
18. भुगतान केवल पूर्ण किये गये कार्य का ही किया जायेगा तथा पूर्ण माह का बिल एक साथ प्रत्येक माह की 5 तारीख से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
19. निविदादाता द्वारा अवयस्क श्रमिकों को कार्य पर नही लगाया जायेगा।
20. निविदादाता एवं उसके कर्मचारी व उसके श्रमिक निविदादाता के सेवक होगे उनका क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, श्रीगंगानगर से कोई संबंध नही होगा।

21. अनुबंध पर रखे श्रमिक निर्धारित समय पर कार्य हेतु उपस्थित होगे तथा कार्य संतोषजनक नही होने, अशिष्ट व्यवहार करने पर श्रमिक को हटा दिया जायेगा एवं उसके प्रति किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है तो उसके लिये संबंधित निविदादाता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा व विश्वविद्यालय किसी भी रूप से उत्तरदायी नही होगा तथा इस संबंध में विश्वविद्यालय के विरूद्ध की गई कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही प्रभाव शून्य होगी।

22. अनुबंध अवधि में किसी श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नही होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा और न ही इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की जावेगी।

23. उपलब्ध करवाये गये श्रमिकों को भुगतान का दायित्व सेवा आपूर्तिकर्त्ता संस्था/ठेकेदार का होगा। स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कोषागार में प्रस्तुत बिल के पास होने या न होने आदि से इसका कोई संबंध नही होगा। निविदादाता द्वारा श्रमिकों का भुगतान प्रत्येक माह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से करना होगा। भले ही कार्यालय द्वारा निविदादाता को भुगतान देरी से किया जाये।

24. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना का दायित्व निविदादाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

25. बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा। सफल निविदादाता सेवा प्रदाता को प्रति माह संबंधित इकाई प्रभारी अधिकारी से सेवा संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण करवाकर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल Zonal Director Research, Agricultural Research Station, Sriganganagar के कार्यालय में प्रस्तुत करने होगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जा सकेगा। उक्त सेवाओं के बदले केन्द्र द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT/चैक द्वारा किया जायेगा।

26. निविदादाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार EPF एवं ESI जमा करवाना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौति और निविदादाता का अंशदान शामिल होगा। निविदादाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत् माह के पेटे श्रमिकों के EPF एवं ESI के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा करवाये जाने की पुष्टि में संबंधित चालन की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही निविदादाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

27. निविदादाता फर्म (ठेकेदार) द्वारा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त EPF, ESI व सेवाकर (यदि कोई हो तो) इत्यादि जोडते हुये अपनी दरें प्रस्तुत करनी होगी। बाद में इस संबंध में कोई भी दायित्व निविदादाता को होगा। कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर इसके लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नही होगा।

28. अनुबंध अवधि के दौरान यदि राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के लिये निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों तथा EPF, ESI एवं अन्य दरों में वृद्धि की जाती है तो न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना तिथि के बाद से ही लागू होगी और किसी भी परिस्थिति में एरियर (बकाया) का भुगतान पीछे की तिथि से नही किया जायेगा। सेवाप्रदाता की सभी चार्ज राशि में कोई भी परिवर्तन नही किया जायेगा।

29. अनुबंध अवधि के दौरान लगाये जाने वाले श्रमिकों के सन्दर्भ में श्रमिक कानूनों एवं प्रावधानों की पूर्ति पालना हेतु निविदादाता उत्तरदायी होगा।

30. निविदादाता को बताये अनुसार समय पर कार्य करवाना होगा अन्यथा कार्य संपादन में किसी भी प्रकार के विलम्ब का नुकसान माना जायेगा जो कि धरोहर राशि के बराबर अथवा कमेटी जो निर्धारित करेगी उसी के अनुसार नुकसान की भरपाई निविदादाता को करनी होगी।

31. निविदादाता के श्रमिकों द्वारा यदि फार्म की फसलों अथवा सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसका हर्जाना निविदादाता को करना होगा अथवा जमा धरोहर राशि या देय भुगतान से काटा जायेगा।

32. ट्रैक्टर चालक को केन्द्र फार्म पर समस्त प्रकार के कार्य जैसे जुताई, बुवाई एंव अन्य सभी निविदा में दर्शाये गये कार्य क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, श्रीगंगानगर अथवा फार्म इन्चार्ज के बताये अनुसार करना होगा। ट्रैक्टर चालक के पास वैद्य ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिये।

33. जोनल डायरेक्टर रिसर्च न्यूनतम दर पर निविदा छोड़ने के लिये बाध्य नही होंगे। न्यूनतम दर के साथ निविदा दरों की व्यवहारिकता तथा कार्य अनुभव को ध्यान में रखा जायेगा।
34. सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
35. निविदा दरें निविदा अनुमोदन के पश्चात् 01 फरवरी से जुलाई, 2025 (6 माह) के लिये मान्य होगी।
36. कार्य फार्म इन्चार्ज अथवा क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, श्रीगंगानगर के निर्देशानुसार पूरा करना होगा।
37. कार्य की पद्धति एवं मांग के अनुसार श्रमिक उपलब्ध करवानें होगे जिस हेतु निविदादाता को समय–समय पर अग्रिम रूप से सूचित किया जाता रहेगा।
38. कार्य का समय फार्म पर आवश्यक कृषि कार्य, मौसम व परिस्थितियों के अनुसार रहेगा।
39. निविदादाता निविदा शर्तो का अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करें तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिये।
40. निविदादाता को निम्न दस्तावेज कार्यालय मे जमा करवाना होगा।
    I. निविदादाता का सरकारी क्षेत्र में कृषि कार्य करवाने का अनुभव प्रमाण पत्र
    II. निविदादाता फर्म का श्रम विभाग एवं राज्य/केन्द्र सरकार के अधिनियमों के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पजीकरण प्रमाण पत्र
    III. आवेदक का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर व ईमेल
    IV. निविदादाता का आयकर पेन (Pan) नम्बर व आधार नम्बर (UIDAI)
    V. निविदादाता का सेवाकर (जी.एस.टी) सम्बन्धी पंजीकरण प्रमाण पत्र
    VI. निविदा फार्म के साथ गत् तीन वर्षो में ब्लैक लिस्ट नही होने का प्रमाण पत्र 100/– (रूपये एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर
    VII. शपथ पत्र 100/–(रूपये एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर कि निविदादाता पर वितिय वर्ष 2023–24 का किसी भी प्रकार का कोई टैक्स बकाया नही है।
    VIII. इस आशय का भापथ पत्र 100/– (रूपये एक सौ मात्र) के स्टॉम्प पेपर पर कि निविदादाता (ठेकेदार) द्वारा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त EPF, ESI, सेवाकर (यदि कोई हो तो) व अन्य लागु सरकारी कर (यदि कोई हो तो) इत्यादि जोड़ते हुए दरें प्रस्तुत की गई है तथा भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई भी दायित्व निविदादाता का ही होगा। कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर इसके लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नही होगा।
41. निविदादाता को नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प 500/–(रूपये पॉच सौ मात्र) इकरारनामा/अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा एवं दोनो पक्षों को उक्त अनुबंध पत्र पर लिखी प्रत्येक शर्त का पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तो का उल्लंघन करता है तो अनुबंध पत्र को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।
42. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, श्रीगंगानगर का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा एवं निविदादाता इसके लिये बाध्य होगा। किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र श्रीगंगानगर रहेगा।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान